न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बरेली

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 /18

आदेश

20.05.19

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती प्रेमा उर्फ रामबेटी द्वारा अ0सं0 72/19 धारा 302, 201, 498ए व 304बी भा0दं0सं0 एंव 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना बारादरी जिला बरेली के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी निर्दोष हैं उसके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय, गैर जमानती एंव गम्भीर प्रकृति का है। मामले की प्रकृति एंव गम्भीरता को देखते हुये जमानत हेतु आधार पर्याप्त नही हैं। अतः प्रार्थनापत्र जमानत निरस्त किया जाता है।

सी0जे0एम0,
बरेली